



कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर,
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL GOODS & SERVICES TAX,
जी-105 न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर 342 001
G-105, NEW JODHPUR INDUSTRIAL AREA, JODHPUR - 342 001
e-mail : commcexjodh@rediffmail.com

फा. सं. 1(22)04 / प्रशा. / जेडीआर / 2020 / 202

दिनांक 23.06.2021

सेवामें,

संपादक, दैनिक भास्कर /
राजस्थान पत्रिका, जोधपुर

विषय:- निलामी की सूचना, जोधपुर संस्करण में 72 स्क्वायर से.मी. तक के कॉलम में डी.ए.वी.पी. दर पर प्रकाशन हेतु।

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस पत्र के साथ संलग्न निलामी की सूचना, जोधपुर संस्करण में 72 स्क्वायर से.मी. तक के कॉलम में डी.ए.वी.पी. दर पर प्रकाशन करने का श्रम करावें।

Amal
23.6.21
प्रशासनिक अधिकारी (मु.)

प्रतिलिपि -

1. अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशन हेतु।
2. नोटिस बोर्ड

नीलामी सूचना

स्थान: श्री राज एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, माता का थान, मगरा पूंजला, शिक्षक नगर के सामने, जोधपुर
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग द्वारा राज्यसात किया गया माल
“जहाँ है, जैसा है” आधार पर नीलाम किया जाना है। नीलाम किये जाने वाले माल का विवरण इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	माल का विवरण	मात्रा
1	पाउच पैकिंग मशीन	21
2	डी.जी. सेट	1
3	बोरा सिलने की मशीन	1
4	लोहे के छोटे ड्रम	21
5	HDPE बैग	69900 बैग (लगभग 7000 कि.ग्रा)
6	पोलीथिन	600 कि.ग्रा
7	छपे हुए आउटर पाउच	54.19 लाख (लगभग 10850 कि.ग्रा) व 9094 कि.ग्रा. =कुल लगभग 19944 कि.ग्रा
8	पाउच के लेमिनेशन रोल	2,00,799 कि.ग्रा
9	पाउच का कचरा	5 बोरी (लगभग 25 कि.ग्रा)

नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी, जिसकी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.cgstjaipur.gov.in पर भी उपलब्ध है :

1. माल की नीलामी इकाई श्री राज एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में दिनांक 01.07.2021 को दिन में 11 बजे से 3 बजे के मध्य की जाएगी।
2. नीलामी में कोई भी अशासकीय व्यक्ति भाग ले सकता है, किन्तु नीलामी से पूर्व प्रत्येक बोलीकर्ता को रूपए 20,000/- (रूपए बीस हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में, केवल डिमांड ड्राफ्ट जो “प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जोधपुर” के पक्ष में SBI Jodhpur को देय हो, जमा करवाने होंगे।
3. सफल बोलीकर्ता को तत्काल सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा करवा इसका प्रमाण अधोहस्ताक्षरकर्ता को उसी दिन प्रस्तुत करना होगा।
4. नीलामी में बोली नहीं छूटने पर धरोहर राशि मौके पर ही लौटा दी जाएगी तथा बोली छूटने पर सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. नीलामी छूटने पर बोलीकर्ता को अपने हर्जे खर्चे पर इकाई से माल निकाल कर ले जाना होगा।
6. अधोहस्ताक्षरकर्ता को नीलामी को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा स्थगित करने का अधिकार है।
7. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए श्री मनोज कुमार पाठक, अधीक्षक से उनके मोबाइल नंबर-98296 44742 पर संपर्क किया जा सकता है।

(नरेन्द्र असेरी)
उप आयुक्त